

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या:-14/प्रो०-04-04/2024-

/पटना-15, दिनांक-

राज्य कर्मियों को भारत सरकार के कर्मियों के अनुरूप सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित "बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003" में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-04.04.2025 की बैठक में की गई अनुशंसा के क्रम में बिहार अभियंत्रण सेवा (जल संसाधन विभाग) के यांत्रिक संवर्ग के अभियंता को सेवा/संवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ अपुनरीक्षित वेतनमान-10,000-325-15200 में निम्नांकित विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम आई० डी० संख्या/जन्म तिथि/गृह जिला	योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतनमान 10000-325- 15200 /- ग्रेड वेतन- 6600/- में स्वीकृत प्रथम ए०सी०पी० की देय तिथि
1	2	3	4	5
1	स्व० विनय मोहन/एम० 0416 /03.01.1948/ पटना	02.02.1979	31.01.2008	09.08.1999

2. यह वृत्ति उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक एवं निम्नांकित शर्तों के अधीन है :-

(i) यह योजना दिनांक-09.08.1999 से प्रभावी है।

(ii) स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (i) के प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रु० का वित्तीय लाभ के अधीन रखते हुए नियत किया जाएगा। परन्तु यदि कोई कर्मी सेलेक्सन ग्रेड या कालबद्ध प्रोन्नति योजना अधीन, जो पहले विद्यमान था, वेतन नियतन का लाभ ले चुका हो उसे मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (i) के अधीन वेतन नियतन का लाभ देय नहीं होगा और उच्चतर वेतनमान में उनका वेतन नियतन मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (ii) के प्रावधान के अनुसार होगा।

(iii) यह वृत्ति उन्नयन व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।



3. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की नियमानुकूल वसूली कर ली जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(गुंजन कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:- 14/प्रो-04-04/2024-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:- 14/प्रो-04-04/2024-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक-3 (भूतल), पुराना सचिवालय, बिहार, पटना-15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:- 14/प्रो-04-04/2024-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास, विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव-4, कौटिल्य मार्ग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव, (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना/सूचना एवं जन सर्मक पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना/सम्बन्धित सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-15, 16, 20, 22, 23 एवं 24, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:- 14/प्रो-04-04/2024-

2153

/पटना-15, दिनांक- 19.5.25

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाइट/आई0 टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना Common Integrated Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।

16/05/25